झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शि0)–देवघर / PDS–29 / 2022 - 158

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 27.02.2023

विषयः– **देवघर जिला अन्तर्गत मारगोमुण्डा प्रखण्ड के राशन डीलरो को अनाज डीलर के दुकान तक पहुँचाए बिना ही अनाज का ऑनलाईन उठाव कर देने एवं अनाज की कालाबाजारी करने संबंधी प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि मोहम्मद यासिन अंसारी एवं अन्य, मारगोमुण्डा प्रखण्ड, जिला–देवघर का शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने शिकायत पत्र में विभागीय पदाधिकारियों के मिली भगत से 10 हजार क्वीन्टल चावल एवं गेहूँ बिना जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को पहुँचाए, ई–पॉस मशीन में लोड करा दिये जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही इस संबंध में जांच कर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त शिकायत पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27/2/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

(10)

सेवा में,

श्रीमान् श्री हेमन्त सोरेन,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड, राँची।

सेवा में,

माननीय मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग श्री रामेश्वर उराँव जी,

सेवा में,

प्रधान सचिव,
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उपायुक्त, देवघर

सेवा में,

संजय कुमार, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

229
20.02.23

विषय : देवघर जिला मारगोमुण्डा प्रखंड के डीलरों को माह दिसम्बर P.M.G. एवं N.F.S.A. माह जनवरी 2023 के NFSA के अनाज को डीलर के दुकान तक बिना पहुँचाये ही अनाज के उठाव को ऑन लाईन कर देने एवं हजारों क्वी० अनाज का कालाबाजारी करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

हमलोग आपको जानकारी देना चाहते हैं कि देवघर जिला के सभी सहायक गोदाम मैनेजर राज्य खाद्य निगम, कम्प्युटर ऑपरेटर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मिलीभग से दस हजार (10,000) क्वी0 चावल एवं गेहूँ माह दिसम्बर 2022 एवं माह जनवरी 2023 में P.M.G. एवं NFSA का अनाज PDS दुकानदारों के EPOS मशीन में लोड करा दिया गया है। जबकि दुकानदारों को उक्त मात्रा का अनाज नहीं मिला है। दिनांक 30 जनवरी 2023 एवं 31 जनवरी 2023 को सबसे ज्यादा अनाज EPOS में लोड करा दिया गया है। अब बेचारा गरीब दुकानदार इसकी भरपाई कहाँ से करेगा। करोड़ों रूपये का खेल हो गया है। प्रखंड मारगोमुण्डा के सभी डीलरों को अनाज दिये बगैर ही EPOS मशीन में लोड करा दिया गया है जबकि दुकानदारों को लोड किये गये अनाज का कोई जानकारी या कोई कागजात नहीं दिया गया है और न ही उक्त मात्रा का प्राप्ति रसीद डीलर द्वारा दिया गया है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि ऐसे भयंकर घोटाले को सी0बी0आई0 या विभाग अपने स्तर से जाँच करा कर लोड किये गये अनाज को शीघ्र ही समाप्त करने हेतु आदेश दिया जाय। दुकानदार अनाज कहाँ से बाँट पायेंगे। अगले एक दो माह में लोड किये गये अनाज का कटौती कर लिया जायेगा तब दुकानदार बाध्य होकर अनाज का वितरण नहीं कर पायेंगे। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता निश्चित रूप से डीलरों के विरूद्ध आवाज उठायेंगे जिसकी सारी जबावदेही विभाग की होगी। समय रहते इसकी जाँच शीघ्र ही करवाने की कृपा की जाय। जिले के अन्य प्रखंड में भी ऐसा ही किया गया है। इस सम्बन्ध में डीलरों से पूछा जाय बयान दर्ज किया जाय।

विश्वासभाजन
प्रखंड मारगोमुण्डा, देवघर

(1) मो० यासिन अंसारी
(2) MD Akhlaque Ansari
(3) अमजुल खान
(4) प्रमेश्वर मंडल
(5) विनायक गुप्ता
(6) रवि कुमार

प्रतिलिपी : माननीय अध्यक्ष, झारखंड विधान सभा

प्रतिलिपि– श्री सरयु राय, विधान सभा सदस्य, झारखंड

प्रतिलिपि – श्री प्रदीप यादव, विधान सभा सदस्य, झारखंड